राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/30974-31164   जयपुर,दिनांकः 24/7/17

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ
राजस्थान।

विषयः सरस डेयरी बूथों के आवंटन के लिए सर्वे कराने एवं फुटपाथ तथा आम रास्ते पर रखे डेयरी बूथों को हटाने बाबत।

प्रसंगः विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक डीएलबी/डेयरी बूथ/2017/11298–11489 दिनांक 02.06.2017.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के बजट सत्र में शहरी क्षेत्रों में 5000 नये सरस डेयरी बूथ खोले जाने की घोषणा की गयी है। इससे बेरोजगारो को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा तथा सरस डेयरी उत्पादो से अधिकाधिक लोग लाभान्वित होगे।

इस क्रम में विभागीय प्रासंगिक पत्र की निरंन्तरता में निर्देश दिये जाते है कि क्षेत्रीय दुग्ध संघ अधिकारियों के साथ संयुक्त सर्वे कर डेयरी बूथो के उपयुक्त स्थान चिन्हित करके आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जावे।

नगरीय निकायो के लिए न्यूनतम लक्ष्य निम्न निर्धारित किये जाते हैः–

1. नगर निगम जयपुर – 100
2. अन्य नगर निगम – 90 (प्रत्येक नगर निगम हेतु)
3. नगर परिषदे – 40 (प्रत्येक नगर परिषद हेतु)
4. नगर पालिकाऐ – 20 (प्रत्येक नगर पालिका हेतु)

यह सुनिश्चित किया जावे की फुटपाथ एवं आम रास्ते की भूमि पर कोई डेयरी बूथ आवंटन नही किया जावे तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/04 में दिये गये निर्णय दिनांक 12.01.17 के क्रम में फुटपाथ एवं आम रास्ते की भूमि पर वर्तमान में रखे हुए डेयरी बूथो/पान बूथो को हटा कर अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित किया जावे।

उक्त आदेश की पालना नगर निकायों द्वारा प्राथमिकता से की जाकर अनुपालना रिपोर्ट विभाग में भेजी जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/31165-31366   जयपुर,दिनांकः 24/7/17

प्रतिलिति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0शा0 एवं नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता एवं गोपालन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं राजस्थान
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी